<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>24.10.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अर्ध-संसाधित टैल्क में छिपाए गए मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी के संबंध में मादक पदार्थों की जब्ती के साथ **बनीत सिंह तलवार पुत्र दिवंगत हरमिंदर सिंह** को धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 23.10.2026 को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त बनीत सिंह तलवार को दिनांक 23.10.2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), तीस हजारी न्यायालय (पश्चिम जिला), नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने आरोपी को 05 दिनों की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

ईडी ने हरप्रीत सिंह तलवार व अन्य के विरुद्ध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी गतिविधियों के लिए यूएपीए, 1967, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और आईपीसी, 1860 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की ।

इससे पहले एनआईए ने इस मामले में छह आरोप पत्र दाखिल किए थे, जिसमें एनआईए ने कई आरोपियों पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुबई स्थित अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया था, जो वांछित आरोपी वितेश कोसर उर्फ राजू दुबई, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों और अफगान नागरिकों के साथ मिलकर काम कर रहा था। जांच से यह भी पता चला है कि मादक पदार्थों की अवैध बिक्री से उत्पन्न ₹ 76 करोड़ की आय को हवाला के माध्यम से अफगानिस्तान में स्थानांतरित किया गया है और इसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया गया है।

ईडी द्वारा अब तक की गई वित्तीय जांच में कुल 89 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) का पता चला है, जो अवैध तस्करी, हवाला के माध्यम से अफगानिस्तान में भेजे गए मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त आय और वस्तु के रूप में प्राप्त के माध्यम से उत्पन्न हुई है। इस प्रक्रिया में अपराध से अर्जित अतिरिक्त आय की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।

बनीत सिंह तलवार हरप्रीत सिंह तलवार का भाई है, जिसने मास्टरमाइंड राजू दुबई के साथ मिलकर भारत में मादक पदार्थों की तस्करी में सहयोग किया। जांच से पता चला है कि बनीत सिंह तलवार ने हरप्रीत सिंह तलवार की एनआईए मामले में गिरफ़्तारी के बाद भी उसके लाभकारी नियंत्रण के तहत व्यावसायिक इकाइयों का प्रबंधन और संचालन करना जारी रखा।।

बनीत सिंह ने हरप्रीत सिंह तलवार द्वारा नियंत्रित व मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल इकाई मैसर्स मैजेंट इंडिया को ₹ 55 लाख से अधिक की धनराशि प्रदान की। वित्तीय विश्लेषण से धन के कई बार इधर-उधर किए जाने के उदाहरण सामने आए, जिसमें हरप्रीत सिंह तलवार ने अपराध से प्राप्त आय को विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों में डाला, जो बदले में लेन-देन की कई परतों के माध्यम से बनीत सिंह तलवार तक पहुंच गई। लेन-देन में विभिन्न इकाइयों में मिलान और ठीक वैसी ही प्रविष्टियाँ शामिल थीं, जो धनराशियों के व्यवस्थित प्रवाह को दर्शाती हैं।

बनीत सिंह ने बेनामी संस्थाओं के नाम पर वाहन खरीदने के लिए नकद जमा का भी इस्तेमाल किया, जिसे पहले ईडी ने जब्त कर लिया था। इसके अलावा, बनीत सिंह तलवार ने हरप्रीत सिंह तलवार से प्राप्त आय का प्रयोग अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए भी किया था, जिसका लाभ हरप्रीत सिंह तलवार और परिवार द्वारा लिया जा रहा है।

ईडी द्वारा उक्त गिरफ्तारी कार्रवाई मादक पदार्थों के तस्करी रैकेट और मादक पदार्थों की तस्करी, धन शोधन और हवाला लेनदेन में शामिल गठजोड़ को तोड़ने के लिए **'संपूर्ण सरकार'** के दृष्टिकोण का हिस्सा है। ईडी राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के आर्थिक ताने-बाने की अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

आगे की जांच जारी है।